

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या: 01/2026- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल, 2026

सा.का.नि.(अ).- एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) तथा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, एतद् द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2025- एकीकृत कर (दर), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 642(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची I- 5% में,-

- (i) क्रम संख्या 150 के समक्ष, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर "2202 99 21, 2202 99 29" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 151 के समक्ष, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर "2202 99 31, 2202 99 39" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची III - 40% में, -

- (i) क्रम संख्या 2 के समक्ष, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर "2202 99 90, 2202 99 91, 2202 99 99" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 3 के समक्ष, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर "2202 99 91, 2202 99 99" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 मई, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. 190341/139/2026-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)
अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना संख्या 09/2025- एकीकृत कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 642(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 19/2025- एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2025 द्वारा सा.का.नि. संख्या 947(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2025 के माध्यम से किया गया था।